न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – टि.ए. 19 सन् 2014

पंजीयन दिनांक 17.06.2014

कारीबाई पत्नी घनश्याम जाति कुलमी निवासी सिद्धपुरा तहसील व जिला प्रतापगढ़।

–अपीलांट

विरूद्ध

बद्रीलाल पिता मोडीराम जाति तेली निवासी सिद्धपुरा तहसील व जिला प्रतापगढ़।

–रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़
प्रकरण संख्या 98/2012 निर्णय व आदेश दिनांक 26.05.2014

उपस्थित वक्त बहस– 1. अजय पिछोलिया–अधिवक्ता अपीलान्ट
2. विमल कुमार मोदी–रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक 20.10.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी व प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के सयुंक्त कब्जे काश्त की आराजी संख्या 337 रकबा 0.07 हैक्टेयर व आराजी सख्या 338 रकबा 1.05 हैक्टेयर भूमि मौजा सिद्धपुरा तहसील प्रतापगढ़ मे स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त आराजीयात पर आने–जाने का कोई रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज नहीं है। उक्त आराजीयात पर मौजा सिद्धपुरा की आराजी संख्या 333 अर्थात चरनोट भूमि पर होकर आराजी संख्या 334/1597 रकबा 0.31 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 334 रकबा 0.50 हैक्टेयर व आराजी संख्या 336 रकबा 0.37 हैक्टेयर के पूर्वी मेड पर होकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की कृषि आराजीयात पर आया–जाया जा सकता है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात मे से विपक्षी अपीलान्ट के नाम मौजा सिद्धपुरा की आराजी संख्या 334/1597, 334, 336 रकबा 0.31, 0.50, 0.37 हैक्टेयर भूमि वर्तमान मे दर्ज रेकॉर्ड है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की कृषि आराजीयात पर आने–जाने का वर्तमान मे कोई रास्ता नहीं है, जिससे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात मौके पर पड़त है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने विपक्षी अपीलान्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

को कुछ दिन पूर्व उक्त कृषि आराजीयात पर पूर्वी मेड़ पर आने जाने का रास्ता देने की कहा तो विपक्षी अपीलान्ट ने इन्कार कर दिया । अन्त मे विपक्षी अपीलान्ट की उक्त वर्णित आराजी संख्या 334/1597 मे से 19 मीटर पूर्व की तरफ, आराजी संख्या 334 मे से 90 मीटर पूर्व की तरफ, आराजी संख्या 336 मे से 16 मीटर पूर्व की तरफ 4 मीटर चौड़ा रास्ता दिलाये जाने व उसका अंकन राजस्व रेकॉर्ड मे कराये जाने का निवेदन किया तथा रास्ते के रूप मे उपयोग मे आई कृषि भूमि की एवज मे मुआवजा राशी का भुगतान न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से विपक्षी अपीलान्ट को अदा किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीया अपीलान्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे विपक्षीया अपीलान्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुई। विपक्षीया अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवादित कृषि आराजीयात पर आने-जाने हेतु रास्ते की मौका रिपोर्ट तलब की गई। दिनांक 26.05.2014 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे आने जाने हेतु विपक्षीया अपीलान्ट की खातेदारी की मौजा सिद्धपुरा की आराजी संख्या 334/1597, 334, 336 रकबा क्रमशः 0.31, 0.50, 0.37 हैक्टेयर भूमि मे से रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट विपक्षीया ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है। अपीलांट विपक्षीया की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट प्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी व कब्जे काश्त की मौजा सिद्धपुरा की आराजी संख्या 338 रकबा 1.05 हैक्टेयर कृषि भूमि मे आने-जाने का रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज नहीं होने से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की उक्त कृषि आराजीयात मे आने-जाने हेतु आराजी संख्या 333 व आराजी संख्या 334/1597 रकबा 0.31 हैक्टेयर, आराजी संख्या 334 रकबा 0.50 हैक्टेयर व आराजी संख्या 336 रकबा 0.37 हैक्टेयर के पूर्वी मेड़ पर रास्ता दिलवाये जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

का निवेदन किया। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब अपीलांट विपक्षीया की ओर से प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि आराजी संख्या 337 व 338 मे जाने के लिए पुराना रास्ता बना हुआ है जो कि आराजी संख्या 337 व 338 के दक्षिण मे स्थित आराजी संख्या 355 व 356 मे से जाता है जो कि आने जाने के लिए गांव के पास व लघुतम, निकटतम व सुविधाजनक रास्ता होकर पुराने समय से विद्यमान है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट केवल सुविधा के लिये वैकल्पिक रास्ता होते हुए नवीन रास्ते की मांग कर रहा है, उसे रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता नहीं है। अपीलान्ट विपक्षीया की कृषि आराजीयात मे होकर कोई रास्ता नहीं है। इसके पक्ष मे अपीलान्ट विपक्षीया स्वंय, घनश्याम, कारूलाल लबाना, महावीरदास बैरागी, किशनलाल लबाना के तस्दीकशुदा शपथ-पत्र भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये। परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट विपक्षीया के जवाब को नजर अंदाज कर एकतरफा बहस सुनी जाकर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट विपक्षीया की आराजी मे से रास्ता कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की आराजीयात पर आने-जाने हेतु पूर्व मे ही आराजी संख्या 337, 338, 355 व 356 मे रास्ता उपलब्ध है जो बिलानाम भूमि है। निकटतम व सुविधाजनक रास्ता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होने वैकल्पिक रास्ता नही होने पर ही रास्ता दिया जाता है जबकि वादग्रस्त कृषि आराजीयात पर पहले से ही रास्ता विद्यमान है जो कि अधिक सुविधाजनक व निकट है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को रास्ते की कोई आत्यांतिक आवश्कता नहीं है । साथ ही प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से चरनोट आराजी संख्या 333 मे से रास्ता चाहा गया है परन्तु उक्त आराजीयात चरनोट भूमि होने से तहसीलदार व ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट विपक्षीया की अनुपस्थिति मे तैयार मौका रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट विपक्षीया के अधिवक्ता को सुने बगैर ही निर्णय व आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है साथ ही प्रार्थी मोडीराम की मृत्यु प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुए उसके वारिसान को रेकॉर्ड पर लिये बिना ही मृतक प्रार्थी मोडीराम के विरूद्ध निर्णय व आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात मे आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज नही होने से एवं उक्त रास्ता विपक्षीया अपीलांट की कृषि आराजीयात मे विद्यमान होना मानते हुए राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त रास्ते की मौका रिपोर्ट ली

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

जाकर उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर विपक्षीया अपीलांट की आराजीयात मे विद्यमान उक्त रास्ते को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की आराजीयात मे आने-जाने हेतु एकमात्र, निकटतम, सुविधाजनक व आत्यांतिक आवश्यकता का होना प्रमाणित होने से व विपक्षीया अपीलांट की आरजीयात मे रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व आदेश गुणावगुण पर पारित किया गया है जो विधि सम्मत होने से विपक्षीया अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। साथ ही रास्ते के उपयोग मे आई भूमि की एवज मे अपीलांट विपक्षीया की ओर से नगद मुआवजा राशी लेने से इनकार करने पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किये जाने के आदेश पर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से डिमांड ड्राफ्ट से मुआवजा राशी जमा करायी गई है जो आज भी जमा है। दिनांक 11.06.2014 को ही रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किया जा चुका है जो दिनांक 16.06.2014 से मौके पर रास्ता आज दिनांक तक चालू है व प्रार्थी रस्पोडेन्ट उक्त रास्ते से अपनी आराजीयात पर आते-जाते है। साथ ही अपीलांट विपक्षीया को काफी अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुई है। उक्त सभी तथ्यो के परिप्रेक्ष्य मे अपीलांट विपक्षी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से स्वयं की कृषि आराजीयात मे आने-जाने हेतु चाहे गए रास्ते के संबंध मे आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट विपक्षीया ने अस्वीकारोक्ति का जवाब प्रस्तुत किया गया व जवाब मे यह अंकित किया गया कि विपक्षीया अपीलान्ट की आराजीयात मे कोई रास्ता अवस्थित नही है। उसके साथ विपक्षीया स्वंय का शपथ पत्र व अन्य गवाहान का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। व यह निवेदन किया गया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कि कृषि आराजीयात पर कोई रास्ता नही है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की आराजीयात पर आने-जाने का रास्ता आराजी नम्बर 355 व 356 व 337, 338 मे से होकर जाता है जो राजकीय व चारागाह की भूमि है। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने तहसीलदार व ग्राम पंचायत को पक्षकार कायम नही किया है उनको पक्षकार बनाये बगैर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने अपीलान्ट विपक्षीया के विरूद्ध ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट विपक्षीया की अनुपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तलब की जाकर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अपीलान्ट विपक्षीया की आराजीयात मे से रास्ता होना मानते हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने निर्णय व आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे तहसीलदार प्रतापगढ़ व ग्राम पंचायत जो चरागाह भूमि की ट्रस्ट्री है जो आवश्यक पक्षकार है फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने तहसीलदार प्रतापगढ व ग्राम पंचायत को पक्षकार कायम किये बगैर अपीलान्ट विपक्षीया की अनुपस्थिति मे मौका रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

विधिसम्मत नही होने से अपीलान्ट विपक्षीया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट विपक्षीया स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ प्रकरण संख्या 98/2012 निर्णय व आदेश दिनांक 26.05.2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह तहसीलदार प्रतापगढ व सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पक्षकार मुकदमा विपक्षी सं. 2 व 3 कायम किया जाकर उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे रास्ते सम्बन्धी मौका रिपोर्ट ली जाकर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अजरसे नव निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 02.12.2022 को स्वयं उपस्थित रहे

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व आदेश की सत्यप्रति अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)